न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 45/2020

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. संजय कुमार पुत्र श्री हंसराज, जाति कुम्हार, आयु 27 वर्ष, निवासी चक 21–एल.एन.पी., तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. सुशील कुमार पुत्र श्री हंसराज, जाति कुम्हार, आयु 25 वर्ष, निवासी चक 21–एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—— वादीगण

बनाम

1. हंसराज पुत्र श्री पृथ्वी राज, जाति कुम्हार, निवासी चक 21–एल.एन.पी., तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. कलावती देवी पत्नी श्री हंसराज, जाति कुम्हार, निवासी चक 21–एल.एन.पी., तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. निशा पुत्री श्री हंसराज, आयु 20 वर्ष, जाति कुम्हार, निवासी चक 21–एल.एन.पी., तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

—— प्रतिवादीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री प्रदीप सिहाग (वादीगण)
अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश वर्मा (प्रतिवादी–1 ता 3)
पैरोकार राज (प्रति.–4)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 23.02.2021

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 एक ही परिवार के सदस्य हैं। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पुत्र हैं तथा प्रतिवादिया संख्या 3, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पुत्री है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 21–एल.एन.पी., तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 48/40 नया/पुराना में 2.024 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 135/99 नया/पुराना में 1.121 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा चक 21–एल.एन.पी. के खाता संख्या 48/40 की कुल 2.024 हैक्टेयर कृषि भूमि गत् काफी वर्षो से आपसी मौखिक बंटवारा में अपने पुत्रों वादीगण को बहिस्सा बराबर, कब्जा काश्त हेतु प्रदान कर रखी है जिस पर वर्तमान में वादीगण काश्त कर रहे हैं। उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 की सहमति से शान्तिपूर्वक काश्त कर रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा चक 21–एल.एन.पी. के खाता संख्या 135/99 की कुल 1.121 हैक्टेयर कृषि भूमि अपने पास रख ली गयी तथा चक 21–एल.एन.पी. के खाता संख्या 48/40 की कुल 2.024 हैक्टेयर की समस्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा वादीगण के पक्ष में बहिस्सा बराबर, मौखिक रूप से परित्याग कर दी गयी। चक 21–एल.एन.पी. के खाता संख्या 48/40 की कुल 2.024 हैक्टेयर कृषि भूमि, जिसको वादीगण काश्त कर रहे हैं, जो कि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण वादीगण को लगान, आबयाना, पानी की पर्ची एवं अन्य सरकारी योजनाओं में कठिनाई पैदा होने लग गई जिस पर वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को मौखिक रूप से यह निवेदन किया गया कि चक 21–एल.एन.पी. के खाता संख्या 48/40 की कुल 2.024 हैक्टेयर कृषि भूमि, जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा वादीगण को बहिस्सा बराबर, मौखिक रूप से मंत्रणा

परित्याग कर दी गई है, जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को कोई एतराज नहीं है, उसे राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज करवा दिया जावे जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रारम्भ में टालमटोल की गई, परन्तु दिनांक 13.06.2020 को ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया। यही वाद हेतुक वादीगण को वाद पत्र प्रस्तुत करने का प्राप्त है। अतः वाद वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी, बहक वादी, विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार आदेशित एवं आज्ञाप्ति किया जावेः

(क) यह कि इस अमर की डिक्री पारित की जावे कि कृषि भूमि स्थित चक 21–एल.एन.पी., तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 48/40 में दर्ज कुल 5.870 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2.024 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि को वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर, खातेदारी दर्ज किया जावे।

(ख) यह कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण के हित में उचित समझे, प्रदान किया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा दिनांक 01.07.2020 को आपसी सहमति के आधार पर इकबाल दावा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार उत्तरदाता प्रतिवादीगण एवं वादीगण के मध्य पिछले कुछ माह से आपसी मनमुटाव था जो कि अब राजीनामा के तहत समाप्त हो चुका है। वर्तमान में वादीगण एवं उत्तरदाता प्रतिवादीगण के मध्य कोई भी विवाद नहीं है। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तो उत्तरदाता प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा दिनांक 02.07.2020 को आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार चक 21–एल.एन.पी., तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 48/40 में दर्ज कुल 5.870 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2.024 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि को प्रथम पक्षकारान वादी/वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज किया जावे। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त चरण में वर्णित अनुसार कृषि भूमि का प्रथम पक्षकारान/वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। अगर उपरोक्तानुसार कृषि भूमि प्रथम पक्षकारान/वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकॉर्ड में अंकित की जाती है तो रिलीय पक्षकारान/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई आपत्ति नहीं है एवं न ही भविष्य में द्वितीय पक्षकारान/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा इस सम्बन्ध में कोई एतराज प्रस्तुत किया जायेगा। प्रथम पक्षकारान एवं द्वितीय पक्षकारान आपसी सहमति से उक्त राजीनामा श्रीमान् न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पश हुआ।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 का कुर्सीनामा प्रस्तुत किया जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के समस्त वारिसान पत्रावली में पक्षकार के रूप में संयोजित है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादी संख्या 1 (वादी के पिता) के नाम जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 ग्राम 21 एलएनपी, पटवार हल्का 17 एलएनपी भू.अ.नि. क्षेत्र गणेशगढ खाता संख्या 48/40, जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 ग्राम 21 एलएनपी, पटवार हल्का 17 एलएनपी भू.अ.नि. क्षेत्र गणेशगढ खाता संख्या 135/99, वादी द्वारा विरास्त साक्ष्य के रूप में जमाबंदी ग्राम 21 एलएनपी, पटवार हल्का 17 एलएनपी भू.अ.नि. क्षेत्र गणेशगढ खाता संख्या 269/37 की प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से उक्त वादग्रस्त भूमि का पैतृक होना सिद्ध होता है।

–:: आदेश ::–

वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार से हैं। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है, एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक समझौता हो चुका है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

"राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदश 12 नियम 6, आदश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।"

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी संख्या 1 व 2 को चक 21–एल.एन.पी., तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 48/40 में दर्ज कुल 5.870 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2.024 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि का बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 23.02.2021 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner